राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

क्रमांक :- एफ2(8)/संकलन/2013-14/602 दिनांक :- 8/11/13

परिपत्र

1. **प्रस्तावना**

सेवाकर केन्द्र सरकार द्वारा विभिन्न सेवाओं पर अधिरोपित अप्रत्यक्ष कर है जो सेवा प्राप्तकर्ता (Service Receiver) से प्राप्त कर सेवा प्रदाता (Service Provider) द्वारा सीमा शुल्क विभाग में जमा कराना होता है। मूलतः सेवाकर के लिये सेवाप्रदाता (Service Provider) को ही दायित्वाधीन किया गया है, किन्तु 01 जुलाई 2012 से सेवाकर अधिनियम में व्यापक संशोधन कर कतिपय सेवाओं में कुछ शर्तो के साथ पूर्ण/आनुपाति रूप से सेवा प्राप्तकर्ता (Service Receiver) को भी प्राप्त की गई सेवाओं पर सेवाकर चुकाने/जमा कराने के लिये दायित्वाधीन किया गया है।

विशेषज्ञों से प्राप्त सलाह के अनुसार मण्डल कतिपय सेवाओं में सेवाप्रदाता एवं सेवा प्राप्तकर्ता दोनो ही रूपों में सेवाकर चुकाने के लिये दायित्वाधीन है। इसी क्रम में मण्डल के समस्त खण्ड एवं वृत्त कार्यालयों को केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विभाग में सेवाकर के बाबत पंजीयन कराने हेतु निर्देशित किया गया था।

सेवा प्रदाता (Service Provider) एवं सेवा प्राप्तकर्ता (Service Receiver) के रूप में मण्डल के खण्ड/वृत्त से निम्नानुसार कार्यवाही की जानी है :-

2. **सेवाप्रदाता (Service Provider) के रूप में**

सेवाकर के संशोधित नियमों के अनुसार मण्डल द्वारा नीलाम एवं खुली बिक्री योजना के अन्तर्गत नकद भुगतान पद्धति (ORS) पर विक्रित आवास/भूखण्ड को छोड़कर, अन्य समस्त प्रकार के **आवास**/आवंटनों के क्रम में दिनांक **01 जुलाई, 2012** से जमा हो रही राशियों पर सेवाकर देय है, जिनका बिन्दुवार विवरण निम्नानुसार है:-

1. स्ववित्त पोषित योजना के सफल आवेदकों से प्राप्त की जा रही समस्त राशिया।
2. **नीलामी एवं खुली बिक्री योजना में नकद** भुगतान पद्धति **(ORS) पर विक्रित आवास/भूखण्ड** को **छोड़कर अन्य** समस्त प्रकार के आवंटनों के क्रम में विभिन्न चरणों में प्राप्त **राशियाँ** जिसमें पंजीयन, आरक्षण राशि, **आवंटन पत्र** की राशि भी सम्मिलित है।
3. किराया क्रय पद्धति के **आवेदकों द्वारा** जमा कराई जा रही किश्तों **की राशि।**
4. वाणिज्य एवं संस्थानिक **आवंटनों में** जमा लीज राशियाँ (वार्षिक एवं एक मुश्त दोनों)

सेवाकर की दर

1. बिन्दु संख्या 1,2 व 3 के क्रम में अगर आवास का कारपेट क्षेत्र 2000 वर्ग फुट से कम है अथवा उसका विक्रय मूल्य रू. एक करोड़ से कम है तो प्राप्त राशियों में से 25 प्रतिशत राशि को, ही सेवाकर के दायरे में (Abated Value) माना गया है, एवं इस Abated Value पर 12.36 प्रतिशत की दर से सेवा शुल्क सम्बन्धित आवेदक/आवंटी से वसूलनीय है। सरलीकरण की दृष्टि से बिन्दु सं. 1 व 2 के क्रम में प्राप्त होने वाली समस्त राशि पर सेवाकर की दर 12.36 प्रतिशत का 25 प्रतिशत अर्थात 3.09 प्रतिशत ही वसूलनीय है।
   उदाहरण के लिये यदि SFS के सफल आवेदक द्वारा 1,00,000/- रूपये जमा कराये जाते है तो 1,00,000/- का 25 प्रतिशत अर्थात 25000/- रूपये पर 12.36 की दर से 3090/- रूपये सेवाकर के रूप में वसूलनीय है, अतः सरलीकरण की दृष्टि से कुल जमा 1,00,000/- पर 3.09 प्रतिशत की दर 3090/- की राशि वसूल की जा सकती है।
2. अन्य परिस्थितियों में प्राप्त राशियों में से 25 प्रतिशत के स्थान पर 30 प्रतिशत abated value होगी एवं उक्त राशि पर भी 12.36 प्रतिशत की देय से सेवाकर देय होगा। **सरलीकृत रूप से कुल जमा राशि पर उक्त दर 3.708 प्रतिशत होगी।**
3. बिन्दु सं. 4 के क्रम में कुल जमा राशि पर 12.36 की दर से सेवाकर की राशि वसूलनीय है।

3. सेवाकर वसूली हेतु की जाने वाली आवश्यक कार्यवाही

1. इस परिपत्र के जारी होने के पश्चात की समस्त नवीन योजनाओं की पुस्तिकाओं में सेवाकर के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लेख किया जावें एवं राशि जमा चालानों में भी सेवाकर का पृथक कॉलम बनाया जावे।
2. इस परिपत्र के जारी होने के पश्चात जारी होने वाले समस्त आरक्षण पत्रों (सामान्य व स्ववित्त पोषित), आवंटन पत्रों में जमा होने वाली राशि के साथ सेवाकर की राशि की गणना करके स्पष्ट अंकन किया जावे।
3. इस परिपत्र के जारी होने से पूर्व में जारी समस्त आरक्षण पत्र/आवंटन पत्र के आवेदकों/आवंटियों को उनके द्वारा देय राशि पर देय सेवाकर की राशि से अवगत कराने वाला पत्र पावती स्पीड पोस्ट से तत्काल प्रेषित किया जावे।
4. (i) मण्डल के कैश काउन्टरों पर सेवाकर के बाबत सूचना पट्ट लगाये जावे; (ii) राशि जमा कराने के चालानों में सेवाकर का कॉलम जोड़ा जावे; तथा (iii)कैशियर को सेवाकर के नियमों एवं उनके कोड नम्बरों से अवगत करा दिया जावे जिससे वो राशियॉ जमा कराने वाले समस्त आवेदकों/आवंटियों को सेवाकर के बाबत अवगत करा सकें।
5. मण्डल की ओर से संग्रहण करने वाली बैंको की शाखाओं में सेवाकर प्रावधान सम्बन्धी नोटिस चस्पा कर दिया जावे।
6. ई-मित्र के समस्त काउन्टरों पर भी सेवाकर प्रावधान सम्बन्धी नोटिस चस्पा कर दिया जावें।
7. सेवाकर के प्रावधानों की जानकारी के बाबत मण्डल के समस्त आवेदकों/आवंटियों की सूचनार्थ आवश्यक सूचना की विज्ञप्ति प्रकाशित करवाई जा रही है।
8. यदि किसी आवेदक/आंवटी द्वारा जमा कराई गई राशि के साथ सेवाकर की राशि जोड़कर जमा नहीं कराई जाती है, तो जमा राशि में से सर्वप्रथम सेवाकर की राशि की कटौती की जायेगी एवं शेष राशि ही सम्बन्धित आवेदक/आवंटी के खाते में जमा की जायेगी। उदाहरणार्थ यदि किसी आवंटी/आवेदक द्वारा 1,00,000/- रूपये की राशि जमा कराई जा रही है एवं नियमानुसार उस पर 3.09 प्रतिशत की दर से 3090/- रूपये का सेवाकर देय होता है, तथा आवंटी/आवेदक द्वारा उक्त सेवाकर जमा नहीं कराया जाता है तो उक्त आवेदक/आवंटी की कुल जमा राशि 1,00,000/- में से 3090/- रूपये सेवाकर के काटते हुए उसके खाते में 1,00,000 - 3090 = 96,910/- रूपये की राशि ही जमा की जावेगी तथा

आवेदक/आवंटी से कम जमा हुई 3090/- रूपये की राशि की वसूली मय 18 प्रतिशत दण्डनीय ब्याज के साथ की जावेगी।

9. देय सेवाकर जमा न होने की प्रत्येक चूक के बाबत् सम्बन्धित आवेदक/आवंटी को सूचित किया जायेगा। वृत्त मुख्यालय की स्थिति में जहां आवासन एवं वसूली का कार्य वृत्त स्तर पर होता है, कब्जा से पूर्व में, यह दायित्व सम्पदा प्रबन्धक प्रकोष्ठ का होगा तथा कब्जे के पश्चात् यह दायित्व वृत्त के वसूली प्रकोष्ठ का होगा, स्वतन्त्र खण्ड की स्थिति में यह दायित्व क्रमशः खण्ड के आवासन एवं वसूली प्रकोष्ठों का होगा।

10. सेवाप्रदाता के रूप में देय सेवाकर सम्बन्धित आवेदकों/आवंटियों से वसूल कर जमा कराने का दायित्व मण्डल का था, अतः दिनांक 01.07.12 एवं उसके पश्चात के समस्त जमा राशियॉं जिन पर सेवाकर देय होता था किन्तु आवेदक/आवंटियों द्वारा सूचना के अभाव में जमा नहीं कराया है, उसकी गणना कर **(संलग्नक-1)** Cenvet Credit का लाभ लेते हुए शेष राशि केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विभाग में जमा करवा दी जावें तथा सभी सम्बन्धितों को देय सेवाकर की बकाया राशि 1 माह में जमा कराने का नोटिस तत्काल जारी कर दिया जावे। नोटिस में यह उल्लेखित कर दिया जावें कि नोटिस अवधि में देय सेवाकर की राशि जमा न कराने पर, देयता की तिथि से 18 प्रतिशत की दर से ब्याज वसूलनीय होगा। **(संलग्नक-2)** सभी सम्बन्धितों को राशि जमा कराने के चालान की प्रति भी नोटिस के साथ भिजवाई जावें, तथा नोटिस के तहत उक्त जमा होने वाली राशि का शीर्षक Paid Service Tax रखा जावें, जिससे उक्त राशि को पुनः सेवाकर के तहत जमा होने से रोका जा सकें।

11. देय सेवाकर जमा न होने का आवेदक/आवंटीवार पूर्ण लेखा जोखा उचित रीति से रखा जाये एवं इसकी वसूली बिन्दु सं. 10 के क्रम में निम्नानुसार सुनिश्चित की जावे-

(i)	पंजीयन राशि में से चूक की स्थिति में।	सम्बन्धित को बकाया सेवाकर जमा कराने के लिये तत्काल नोटिस जारी किया जावें एवं जमा न होने की स्थिति में आरक्षण/आवंटन पत्र में सेवाकर चूक की गई राशि सम्मिलित की जावे, एवं जमा होना सुनिश्चित किया जावें।
(ii)	आरक्षण/आवंटन पत्र की देय राशि में से चूक की स्थिति में।	सम्बन्धित को बकाया सेवाकर जमा कराने के लिये तत्काल नोटिस जारी किया जावें एवं जमा न होने की स्थिति में आवंटन पत्र में राशि जोड़ी जावे एवं कब्जे से पूर्व इसकी वसूली सुनिश्चित की जावे।
(iii)	कब्जे के पश्चात् देय राशियों में से चूक की स्थिति में।	सम्बन्धित को बकाया सेवाकर जमा कराने के लिये तत्काल नोटिस जारी किया जावें एवं जमा न होने की स्थिति में अदेय प्रमाण पत्र जारी करने से पूर्व इसकी वसूली सुनिश्चित की जावे।
(iv)	अदेय प्रमाण पत्र जारी हो जाने के बावजूद चूक की स्थिति में।	सम्बन्धित को बकाया सेवाकर जमा कराने के लिये तत्काल नोटिस जारी किया जावें एवं जमा न होने की स्थिति में पंजीयन दस्तावेज जारी करने से पूर्व इसकी वसूली सुनिश्चित की जावें।
(v)	पंजीयन दस्तावेज जारी होने के बावजूद चूक की स्थिति में।	सम्बन्धित को बकाया सेवाकर जमा कराने के लिये तत्काल नोटिस जारी किया जावें एवं जमा न होने की स्थिति में नामन्तरण से पूर्व इसकी वसूली सुनिश्चित की जावें।

4. **आवेदकों/आवंटियों द्वारा जमा कराई गई राशियों एवं सेवाकर का लेखांकन**

वर्तमान में वृत्त मुख्यालय (Circle Headquarter) एवं स्वतंन्त्र खण्ड के स्तर पर आवेदकों/आवंटियों से प्राप्त होने वाली समस्त राशियां मुख्यालय से संचालित संग्रह खाते में जमा की जाती है, जो कि जर्नल प्रविष्टी के माध्यम से वित्तीय वर्ष के अन्त में मण्डल मुख्यालय की लेखा पुस्तकों में दर्ज की जाती है, किन्तु अब सेवाकर लागू होने के पश्चात आवेदकों/आवंटियों से प्राप्त समस्त राशियों एवं सेवाकर की प्राप्त राशियों को प्रत्येक माह के अन्तिम कार्य दिवस पर लेखा पुस्तकों में अंकित किया जाना अनिवार्य है, चूंकि मण्डल को सेवाप्राप्तकर्ता के रूप में संवेदक फर्मो को चुकाये गये सेवाकर की राशियों की Cenvet Credit का लाभ भी लेना है। अतः आवेदकों/आवंटियों से प्राप्त राशियों एवं सेवाकर राशि का सम्बन्धित खण्ड की लेखा पुस्तकों में ही इन्द्राज होना अनिवार्य है। इस सम्बन्ध में वृत्त एवं खण्ड स्तर से निम्नलिखित कार्यवाही की जानी हैः-

1. वृत्त के लेखाधिकारी (वसूली)/सहायक लेखाधिकारी (वसूली) के द्वारा वित्तीय वर्ष 2013-14 में अप्रेल-13 से माह अक्टूबर-13 तक संग्रहण खाते में जमा हुई राशियों का खण्डवार, आवेदक/आवंटीवार विवरण पत्र तैयार कर खण्ड को उपलब्ध कराया जावे, जिसमें देय तथा जमा हुये सेवाकर का पृथक से स्पष्ट अंकन हो। उक्त कार्य 20 नवम्बर 2013 तक ही पूर्ण करना अनिवार्य है।
2. प्राप्त विवरण पत्र के आधार पर खण्ड द्वारा विभिन्न मदों में जमा राशियों को सम्बन्धित मदों में Credit करते हुए दिनांक 30.11.2013 को ही J.V. पारित की जावेगी। (J.V. नमूना प्रपत्र संलग्न है) **(संलग्नक-3)**
3. आवेदकों/आवंटियों से जमा होने वाली राशियों के लिये वर्तमान में चल रहे संग्रहण खाते के अतिरिक्त खण्डवार पृथक संग्रहण खाता खोला जावे।
4. इस परिपत्र के पश्चात जारी होने वाले समस्त आवंटन/आरक्षण पत्रों में आवेदक/आवंटियों को "आवासीय अभियन्ता खण्ड .... राजस्थान आवासन मण्डल ...." के नाम से जमा योग्य राशियों का डिमान्ड ड्राफ्ट/चैक प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया जावे।
5. उपरोक्त प्राप्त डिमान्ड ड्राफ्ट/चैक को सम्बन्धित आवासीय अभियन्ता के संग्रहण खाते में जमा करवाया जावें, एवं प्रत्येक माह के अन्त में समस्त जमा राशियों का आवेदक/आवंटीवार विवरण तैयार कर बिन्दु सं. 2 के अनुसार ही विभिन्न मदों में Credit करते हुए J.V. पारित की जावें।

6. उपरोक्त परिवर्तित हो रही प्रक्रिया के अवधि से पूर्व में जारी आरक्षण/आवंटन पत्रों की अनुपालना में खण्ड से सम्बन्धित कोई राशियाँ वर्तमान में "राजस्थान आवासन मण्डल" के नाम से चल रहे संग्रहण खाते में जमा होती है तो बिन्दु संख्या 1 के अनुसार ही वृत्त के लेखाधिकारी (वसूली) द्वारा माह के अन्तिम कार्य दिवस को विवरण पत्र खण्ड को उपलब्ध करवाया जावेगा एवं खण्ड द्वारा बिन्दु सं. 2 के अनुसार J.V. पारित की जायेगी।

5. **सेवाप्राप्तकर्ता (Service Receiver) के रूप में**

सेवाप्राप्तकर्ता के रूप में Reverse Charge Mechanism (RCM) नियम के तहत मण्डल के दायित्व एवं विभिन्न स्तरों से की जाने वाली कार्यवाही के बाबत विस्तृत दिशा-निर्देश पूर्व में ही परिपत्र क्रमांक F2(8)/Comp./2013-14/ST-142/419 दिनांक 12.09.2013 से जारी किये जा चुके है, उक्त परिपत्र के बिन्दु सं. 6 जो कि संवेदक फर्म से प्राप्त बिल को पारित करने हेतु लगाये जाने वाले 'पास ऑर्डर' का प्रारूप है को निरस्त किया जाता है, परिपत्र के शेष निर्देशों की यथावत पालना की जावें।

ऐसी समस्त सेवाऐं जिनमें "रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म"(Reverse charge mechanism-RCM) का प्रावधान लागू है, उनमें दिनांक 01.07.2012 के पश्चात् मण्डल, सेवा प्राप्तकर्त्ता (Service Receiver) के रूप में कुल देय सेवाकर में से आनुपातिक रूप से कुछ सेवाकर का भुगतान करने के लिए दायित्वाधीन है। अतः निम्न स्थितियों में भुगतान के बिल उक्त स्थिति के सम्मुख उल्लेखित संलग्नक के प्रारूप में प्राप्त किया जावे।

(अ) (i) ऐसी सेवाओं के लिये जो 'रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म' में सम्मिलित है। अनुबन्ध/कार्य आदेश के अनुसार देय भुगतान में सेवाकर सम्मिलित होने पर (In case of Sanctioned rates and inclusive of Service Tax) **संलग्नक-4**

(ii) अनुबन्ध/कार्य आदेश के अनुसार देय भुगतान में सेवाकर सम्मिलित न होने पर (In case sanctioned rates are non inclusive of Service Tax) **संलग्नक-5**

संवेदकों से उपरोक्तानुसार बिल प्राप्त होने पर प्रक्रियानुसार प्राप्त बिल की जाँच की जावें तथा जाँच उपरान्त यदि बिल में कटिंग होती है अथवा संवेदक द्वारा बिल उपरोक्त निर्धारित प्रारूपों में प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो (**संलग्नक-6**) के प्रारूप में सम्बन्धित कार्यालय के कार्मिक द्वारा Bifurcation of Bill का वाउचर तैयार किया जायेगा एवं उक्त वाउचर पर सम्बन्धित संवेदक के हस्ताक्षर करवाके ही संलग्नक - 4 के अनुसार "पास ऑर्डर" लगाते हुए बिल पारित करने की कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

वर्क्स कान्ट्रेक्ट के अतिरिक्त रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के तहत अन्य सेवाओं में देय सेवाकर का भुगतान भी उपरोक्तानुसार ही किया जायेगा, किन्तु चूंकि उक्त भुगतान किये गये सेवाकर की CENVET CREDIT देय नहीं है, अतः उक्त भुगतान किये गये सेवाकर की राशि Revenue – Expenditure Head में Service Tax – Hiring of Taxi/ Security Guard/ Legal इत्यादि के पृथक-पृथक खाते खोल कर उनमें Debit की जावें।

वर्क्स कान्ट्रेक्ट के तहत भुगतान की जा रही राशियाँ III-Deposit – Service Tax के खाते में Debit/Credit की जावें।

यह उल्लेखनीय है कि Reverse Charge Mechanism (RCM) तहत् सेवा प्राप्तकर्त्ता (Service Receiver) के रूप में मण्डल के, सेवाकर चुकाने के दायित्व दिनांक 1 जुलाई 2012 से सृजित हुए हैं, अतः निम्न परिस्थितियों में RCM के तहत् मण्डल सेवाकर चुकाने के लिये दायित्वधीन नहीं है।

(i) ऐसे समस्त अनुबन्ध जिनमें कार्य 01.07.2012 से पूर्व पूर्ण हो चुके थे, चाहे भुगतान 01.07.2012 के पश्चात् ही किया गया हो।

(ii) रनिंग अनुबन्धों में 01.07.2012 से पूर्व किये गये कार्यों की राशि, (जिनका उचित विवरण होना आवश्यक है) चाहे उसका भुगतान 01.07.2012 के पश्चात् हुआ हो।

6. सेवाकर के सम्बन्ध में अन्य विशेष बिन्दु

1. मण्डल में निर्माण कार्यो के भुगतान खण्ड स्तर पर होता है तथा आवासों का आवंटन भी खण्ड/वृत्त स्तर से होता है। अतः सेवाकर के संदर्भ में मण्डल में सेवाप्रदाता (Service Provider) एवं सेवा प्राप्तकर्ता (Service Reveiver) खण्डीय अधिकारी अर्थात आवासीय अभियन्ता है।
2. प्रत्येक माह खण्ड द्वारा सेवा प्रदाता के रूप में आवेदकों/आवंटियों से वसूल किये गये सेवाकर का भुगतान में से सेवाप्राप्त कर्ता के रूप में निर्माण कार्यो पर चुकाये गये सेवाकर की राशि को CENVET नियम के तहत दर्शाते हुये आगामी माह में समायोजित किया जायेगा।
3. खण्ड एवं वृत्त स्तर पर सेवाकर नियमों, प्रक्रियाओं एवं समय-समय पर जारी निर्देशों की पूर्ण सावधानी से अनुपालना सुनिश्चित की जावें एवं उचित खाते-बही रखे जावें, अन्यथा खण्ड स्तर पर हुई त्रुटि के लिये आवासीय अभियन्ता व समस्त लेखा कार्मिक तथा वृत्त स्तर पर हुई त्रुटि के लिये उप आवासन आयुक्त, समस्त, लेखा/आवासन शाखा के कार्मिक संयुक्त रूप से जिम्मेवार माने जायेंगे एवं मण्डल को, खण्ड/वृत्त स्तर से हुई त्रुटि के कारण यदि कोई वित्तीय हानि होती है तो वह सम्बन्धित कार्मिकों के व्यक्तिगत भुगतानों से वसूलनीय होगी।
4. सहकारी समिति एवं पंजीकृत कम्पनी के भुगतानों पर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लागू नहीं होगा, अर्थात उनको किये जाने वाले भुगतानों के प्रति मण्डल का सेवाकर जमा कराने का कोई दायित्व नहीं होगा, किन्तु उनके द्वारा बिल में जो सेवाकर चार्ज किया जा रहा है, यदि वह नियमानुसार एवं अनुबन्ध के तहत देय हो तो उसका भुगतान किया जावें, परन्तु सम्बन्धित संस्था से सहकारी समिति/पंजीकृत कम्पनी होने का उचित प्रमाण प्राप्त कर लिया जावें।

   <u>उदाहरणार्थ</u>

   यदि फर्म XYZ जो कि सोसायटी/प्राइवेट/पब्लिक लि0 कम्पनी है को मण्डल द्वारा निर्माण कार्य आवंटित किये गये है तो उक्त फर्म द्वारा 1.00 लाख का बिल प्रस्तुत किया जाता है तो उसे निम्नानुसार Bifurcate कर सम्बन्धित फर्म के अधिकृत प्रतिनिधि से हस्ताक्षर करवा कर पारित किया जावें।

(i) **सेवाकर स्वीकृत दर में सम्मिलित होने पर**

(i)	Cost of Const.	95419/-	
(ii)	Cost of Const. WCT/VAT @3% above	2779/-	
(iii)	Service Tax input RHB (4.944% of Const. of) (i)		4581/-
	Gross Amount of Bill		1,00,000/-

Signature of Contractor

उपरोक्त राशि में से कटौतियों में सेवाकर के पेटे कोई राशि नहीं काटी जावें।

(ii) **सेवाकर स्वीकृत दर में सम्मिलित न होने पर**

वर्तमान में मण्डल द्वारा जारी समस्त कायदिर्शो/अनुबन्धों की स्वीकृत दरों में सेवाकर की राशि सम्मिलित है, किन्तु यदि भविष्य में किन्हीं प्रकरणों में दरें सेवाकर की राशि को सम्मिलित न करते हुए स्वीकृत की जाती है तो–

कम्पनी/सोसाईटी की स्थिति में सेवाकर तभी देय होगा, जब कम्पनी द्वारा बिल में अलग से चार्ज किया गया हो, सेवाकर सकल बिल राशि (Gross Amount of Bill) में से WCT/VAT की कटौती कर शेष राशि पर ही 4.944 की दर से गणना कर भुगतान की जावें, एवं कटौतियों (Deductions) में **सेवाकर के तहत कोई राशि नहीं काटी जावें।**

आवासन आयुक्त

प्रतिलिपि :–

1. मुख्य अभियन्ता–प्रथम/द्वितीय/मुख्यालय, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
2. अति. मुख्य अभियन्ता, प्रथम/द्वितीय/तृतीय, राजस्थान आवासन मण्डल।
3. समस्त उप आवासन आयुक्त/आवासीय अभियन्ताओं को निर्देशों की पालनार्थ।
4. सहायक लेखाधिकारी (भण्डार), राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
5. संयुक्त निदेशक (सिस्टम एनालिस्ट) राजस्थान आवासन मण्डल जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि संबंधित के ई–मेल एवं बोर्ड की वेबसाईट पर अपलोड करने की व्यवस्था करावें।
6. रक्षित पत्रावली।

वित्तीय सलाहकार

संलग्नक - 1

राजस्थान आवासन मण्डल, वृत्त/खण्ड ....

सेवाप्रदाता के रूप में आवासों के आवंटी/आवेदकों से दिनांक 01.07.12 एवं उसके पश्चात माह अक्टूबर तक जमा राशियों पर देय सेवाकर की गणना

क्र.सं.	आवंटी/आवेदक का नाम	दिनांक 01.07.12 एवं उसके पश्चात माह अक्टूबर 13 तक जमा राशि	देय सेवाकर की राशि	आवेदक आवंटी द्वारा जमा कराई गई सेवाकर की राशि	सेवाकर की शेष देय राशि

राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

क्रमांक :- एफ2(8)/संकलन/2013-14/ दिनांक :-

श्री/श्रीमती ....

....

....

नोटिस

विषय :- दिनांक 01.07.12 से देय सेवाकर जमा कराने के बाबत।

संदर्भ :- आवंटन/आरक्षण पत्र क्रमांक .... दिनांक ....

महोदय/महोदया,

सेवाकर अधिनियम में व्यापक संशोधन से दिनांक 01.07.12 से मण्डल द्वारा आवंटित किये जा रहे आवास के विरूद्ध जमा कराई जा रही राशियाँ भी सेवाकर के दायरे में आ चुकी, अतः उपरोक्त सन्दर्भित आरक्षण/आवंटन पत्र के क्रम में आप द्वारा जमा कराई गई निम्न राशियों पर निम्नानुसार सेवाकर देय है :-

क.सं	जमा दिनांक	जमा राशि	सेवाकर की दर	देय सेवाकर की राशि

अतः आपसे निवेदन है कि नोटिस जारी होने के दिनांक से 1 माह की अवधि में उक्त देय कर की राशि मण्डल के कैश काउन्टर सं. .... पर जमा करा देवें। चालान की प्रति संलग्न है।

विशेष बिन्दुः- नोटिस अवधि में देय सेवाकर की राशि बिना **विलम्ब ब्याज के** जमा होगी, किन्तु **नोटिस अवधि के पश्चात** सेवाकर जमा करने पर **पूर्व में आप** द्वारा जमा कराई गई **राशि पर देय सेवाकर** की वसूली मूल राशि **जमा की दिनांक** से 18 प्रतिशत **ब्याज सहित की जायेगी।**

भवदीय,

सम्पदा **प्रबन्धक**

Formats of Journal Vouchers

1.	**To incorporate the total collection amount in Div. account books**	Debit	Credit
	DR. Bank Collection A/c (Bank wise) CR. Collection A/c (Being the total amount collected by the Bank during the month .... incorporated in the Div................ accounts)		

2.	**On Transfer of Amount from collection A/c ot its nodel branch.**	Debit	Credit
	Dr. **I.U.S (H.O.)** (Bank name with nodel branch) CR. Bank Collection A/c (Being amount transferred by bank to its Nodel Branch, Jaipur as detailed below)		

Sr. No.	Date	Amount

3.	**To account for Collected amount in concern heads**	Debit	Credit
	DR. Collection A/c CR. I. Capital A' Receipts 3 Sale Proceeds A. Sale Proceeds of Properties		

Head	A/c Code
(i) **Out right Sale**	
(a) EWS	9
(b) LIG	10
(c) MIG	11
(d) HIG	12
(ii) **Hire Purchase**	
(a) EWS	13
(b) LIG	14
(c) MIG	15
(d) HIG	16
(iii) **Seed Money**	17
(iv) **SFS**	18
B. **Auction of Plots**	19
C. **Auction of Shops**	20
II Revenue A' Receipts	
2.**Interest (b) Intrest on Sale Proceeds**	**82**
(All kinds of penal interest including interest on lease money)	
3. **Miscellaneous**	
(a) Fee, Fines & Ferfretures (all kind of Adm Charges)	
(e) Sale of application forms for registration /allotment. (Amount of Booklet directly received by bank)	
III. **Deposit 3. Other deposit**	
Lease Money	177
Service Tax	135
Paid Service Tax	135

(Total Collection Amount has been credited in respective sale proceeds heads)

संलग्नक –

To,
Resident Engineer,
Rajasthan Housing Board,
Div-I, Jaipur.

From :-
Name of Contractor/Supplier - M/s Triangle Engineer Pvt. Ltd.
Address : 101/119, Mangal Marg, Mansarovar, Jaipur
PAN No: .... TIN No: ....
Service Tax Registration No: ....
Invoice/Bill No: .... Date : ....

1st Running Account Bill
(Only For contractors and Suppliers for payment of works or supplies actually measured)
Based on RHB BSR 2012 Jaipur Circle - III
Name of Work - **Construction of LIG (G+3) 64 - flats at Sec. 12, Indira Gandhi Nagar, Jagatpura, Jaipur.**
Work Order No. .... Date : .... Amount of Contract Rs. 47022425.200
Agreement No: .... Date : ....
Date of Commencement of Work -
Stipulated date of completion of work
Date of actual Completion of Work -

II- ACCOUNT OF WORK DONE

S.No.	(Quantity executed of supplied since last certificate)	(Quntity executed (or supplied) up-to-date as per measurement book	UNIT	Item of work of supplies (grouped under 'sub-heads' and sub works of estimate)	Rate	Amount		Remarks
						Up-to-date	Since previous bill (Total for-each sub head)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Part A Building Work

1/1		600.00	Cum	Earth work in excavation over areas (exceeding 30 cm in depth, 1.5 Mtr. in width as well as 10 Sqm on plan) including disposal of excavated earth lead up to 50 m and with all disposed earth to be leveled and neatly dressed : All kind soil	100.00	60000.00		
2/3		20.00	Cum	Providing and laying in position cement concrete including curing, compaction etc. complete in specified grade excluding the cost of centering and shuttering - All work up to plinth level. 1:4:8 (1 cement : 4 coarse sand : 8 graded stone aggregate 40 mm nominal size)	2000.00	40000.00		
					Add T.P. 00% Above	0.00		
					Net Total Amount	100,000.00		

Pl. make the payment of above bill.
Date :

SIGNATURE OF CONTRACTOR

(In case rates are inclusive Service Tax and service is under RCM)

Bifurcation of Bill

(i)	Cost of Const.	92640/-	95419/-
(ii)	Cost of Const. : WCT/VAT (@3% of above)	2779/-	
(iii)	Service Tax-Input-RHB (2.472% of Cost of Const.) (i)		2290/-
(iv)	Service Tax Input-RCM-RHB (2.472% Cost of Const.) (i)		2291/-
	Total Amount of Bill		**1,00,000/-**

Signature of Contractor

Passed for Rs. 1,00,000/- (Rs. One lac only) Less Deductions		**Rs. 1,00,000.00**
S.D. 10%	9542/-	
Income Tax 2%	1908/-	
WCT/VAT (as above)	2779/-	
Service Tax Input-RCM-RHB	2291/-	
Labour Cess (1% on Total Amount)	954/-	
Royalty (As per Prevailing rules)	as per rules	
Total Deductions		
Net Payble amount		

Net by cheque amount Rs. ....

Resident Engineer,
Rajasthan Housing Board,
Div ....

D:\RHB\RHB COMP CELL ALL FILE\R.N. Sharma Ji/English A4

(In case rates are non inclusive Service Tax and service is under RCM)

Bifurcation of Bill

(i)	Cost of Const. (Gross amt. of bill)	1,00,000/-	1,00,000/-
(ii)	Less WCT/VAT (3%)	3,000/-	
	Amount Taxable for Service Tax	97,000/-	
	Add Service Tax Input – RHB (2.472%)		2398/-
	Total Gross Amt. of Bill		**1,02,398/-**

Passed for Rs. 1,02,398/- (Rs. One lac Two Thousand three hundred ninety eight rupees)

Deductions

S.D. 10%	10,000/-	
Income Tax 2%	2,000/-	
RST (as above) 3%	3,000/-	
Service Tax Input- RHB (as above)	2398/-	
Labour Cess 1%	1,000/-	
Royalty (As per rules)		
Total Deductions		
Net Payble amount		

Net by cheque amount to Rs. ....

Resident Engineer,
Rajasthan Housing Board,
Div ....

To,
Resident Engineer,
Rajasthan Housing Board,
Div-I, Jaipur.

From :-
Name of Contractor/Supplier – M/s Triangle Engineer Pvt. Ltd.
Address : 101/119, Mangal Marg, Mansarovar, Jaipur
PAN No: .... TIN No: ....
Service Tax Registration No: ....
Invoice/Bill No: .... Date : ....

1st Running Account Bill
(Only For contractors and Suppliers for payment of works or supplies actually measured)
Based on RHB BSR 2012 Jaipur Circle – III
Name of Work – **Construction of LIG (G+3) 64 – flats at Sec. 12, Indira Gandhi Nagar, Jagatpura, Jaipur.**
Work Order No. .... Date : .... Amount of Contract Rs. 47022425.200
Agreement No: .... Date : ....
Date of Commencement of Work -
Stipulated date of completion of work
Date of actual Completion of Work -

II- ACCOUNT OF WORK DONE

S.No.	(Quantity executed of supplied since last certificate)	(Quntity executed (or supplied) up-to-date as per measurement book	UNIT	Item of work of supplies (grouped under 'sub-heads' and sub works of estimate)	Rate	Amount		Remarks
						Up-to-date	Since previous bill (Total for-each sub head)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Part A Building Work								
1/1		600.00	Cum	Earth work in excavation over areas (exceeding 30 cm in depth, 1.5 Mtr. in width as well as 10 Sqm on plan) including disposal of excavated earth lead up to 50 m and with all disposed earth to be leveled and neatly dressed : All kind soil	100.00	60000.00		
2/3		20.00	Cum	Providing and laying in position cement concrete including curing, compaction etc. complete in specified grade excluding the cost of centering and shuttering – All work up to plinth level. 1:4:8 (1 cement : 4 coarse sand : 8 graded stone aggregate 40 mm nominal size)	2000.00	40000.00		
					Add T.P. 00% Above	0.00		
					Net Total Amount	100,000.00		

Pl. make the payment of above bill.

Date :

SIGNATURE OF CONTRACTOR

(In case rates are inclusive Service Tax and service is under RCM but contractor not submitted head wise bill)

Rajasthan Housing Board, Jaipur

To,
Resident Engineer,
Rajasthan Housing Board,
Div-I, Jaipur.

From :-
Name of Contractor/Supplier - M/s Triangle Engineer Pvt. Ltd.
Address : 101/119, Mangal Marg, Mansarovar, Jaipur
PAN No: .... TIN No: ....
Service Tax Registration No: ....
Invoice/Bill No: .... Date : ....

1st Running Account Bill
(Only For contractors and Suppliers for payment of works or supplies actually measured)
Based on RHB BSR 2012 Jaipur Circle - III
Name of Work - **Construction of LIG (G+3) 64 - flats at Sec. 12, Indira Gandhi Nagar, Jagatpura, Jaipur.**
Work Order No. .... Date : .... Amount of Contract Rs. 47022425.200
Agreement No: .... Date : ....
Date of Commencement of Work -
Stipulated date of completion of work
Date of actual Completion of Work -

Bifurcation of Bill

(i)	Cost of Const.	92640/-	
(ii)	Cost of Const. : WCT/VAT (@3% of above)	2779/-	95419/-
(iii)	Service Tax-Input-RHB (2.472% of Cost of Const.) (i)		2290/-
(iv)	Service Tax Input-RCM-RHB (2.472% Cost of Const.) (i)		2291/-
	Total Amount of Bill		**1,00,000/-**

Signature of Contractor

Passed for Rs. 1,00,000/- (Rs. One lac only) Less Deductions		**Rs. 1,00,000.00**
S.D. 10%	9542/-	
Income Tax 2%	1908/-	
WCT/VAT (as above)	2779/-	
Service Tax Input-RCM-RHB	2291/-	
Labour Cess (1% on Total Amount)	954/-	
Royalty (As per Prevailing rules)	as per rules	
Total Deductions		
Net Payble amount		

Net by cheque amount Rs. ....

Resident Engineer,
Rajastban Housing Board,
Div ....

D:\RHB\RHB COMP CELL ALL FILE\R.N. Sharma Ji/English A4